एक नजर

8 आईएएस के तबादले मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को मिली नई जिम्मेदारी

भोपाल ,(निप्र)। मध्यप्रदेश में मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरकार ने आठ आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। शहडोल, छतरपुर और बालाघाट समेत कई महत्वपू ी पदों पर बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को आठ आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव शहडोल कलेक्टर को लेकर हुआ है। पिछले आदेश में शहडोल कलेक्टर के पद पर पदस्थ की गईं मिशा सिंह के आदेश में संशोधन करते हुए अब 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पार्थ जायसवाल को शहडोल कलेक्टर बनाया गया है। मिशा सिंह को अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदस्थ किया गया है। इसी तरह मृ ाल मी ा को कलेक्टर बालाघाट से हटाकर कलेक्टर छतरपुर बनाया गया है। वहीं ग्वालियर के अपर कलेक्टर कुमार सत्यम को बालाघाट कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को मिली नई जिम्मेदारी-मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्मा ा बोर्ड की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संचालक रोजगार तथा एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क की मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

पार्थ जायसवाल को मिली शहडोल की कमान-अब तक छतरपुर कलेक्टर के रूप में कार्यरत पार्थ जायसवाल को शहडोल कलेक्टर नियुक्त किया है। प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। शहडोल में उनके सामने विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती होगी।

महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाई जाएगी गुरू पूर्णिमा:मुख्यमंत्री डॉ.यादव

भोपाल,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि संपू ी प्रदेश में इस वर्ष गुरू पू िमा ह्यमहर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्वह्न के रूप में मनाई जाएगी। महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाई जा रही गुरू पू िमा को जनभागीदारी के उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। इसे सांस्कृतिक-शैक्ष िक जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। जिससे गुरु-शिष्य परम्परा का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मंत्रीग ों को गुरु पू िमा की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्प ा होना शेष है, उनका लोकार्प ा शीघ्र करा लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री अशोक ब ीवाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

जिला अभ्यास वर्ग का समापन

आष्टा,(निप्र)। नगर के मानस भवन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम संपन्न हुआ । कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सीहोर जिले के 10 प्रखंडों के दायित्व वान कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें सीहोर नगर एवं ग्रामी ा प्रखंड के कार्यकर्ता आष्टा प्रखंड इछावर प्रखंड श्यामपुरा प्रखंड झागरिया प्रखंड जावर प्रखंड खाचरोद प्रखंड देवीपुरा प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह दो दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग में केंद्र एवं प्रांत से पधारे वरिष्ठ पदाधिकारी का संगठन के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं नवीन दायित्व वान कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति से अवगत कराया गया। दो दिवसीय अभ्यास वर्ग 8 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र प्रांत कोषाध्यक्ष विजय जैन द्वारा लिया गया। द्वितीय सत्र प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख भंवर सिंह चौहान ने कहा कि धर्म क्या है और भारत वर्ष में धर्म कितना जरूरी है पर चर्चा की गई। तृतीय सत्र प्रांत विधि प्रमुख राकेश श्रीवास्तव द्वारा लिया गया। चतुर्थ सत्र जिले के जिला संयोजक प्रभात मेवाड़ा द्वारा कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई एवं अभ्यास वर्ग के विषय में संदर्भ में कार्यकर्ताओं से बात की । इसी प्रकार द्वितीय दिवस प्रारंभ में पंचम सत्र का शुभारंभ करते हुए विभाग सह मंत्री मोहन भाटी द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की रीति नीति एवं संगठन के अनुशासन व स्वयंसेवक के कर्तव्यों से सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया।

पर्यटन को नई रफ्तार देंगे मुख्यमंत्री डॉ.यादव

■ होमस्टे से लेकर धार्मिक पर्यटन तक पर फोकस ■ मप्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी ■ निजी निवेश और सुविधाओं के विस्तार पर जोर

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने और प्रदेश को देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार, निजी निवेश को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग को वन और संस्कृति विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, ताकि ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं का उपयोग किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

होमस्टे और निजी निवेश पर जोर

डॉ.यादव ने कहा कि पर्यटन विकास निगम द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जारी की जाने वाली अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों में निजी भागीदारी के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर विकसित किए जाएं, जिससे व्यापारिक पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा मिल सके।

सुविधा केंद्रों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और ग्रीनफील्ड क्षेत्रों के पास विकसित होने वाले मार्ग सुविधा केंद्रों को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर केवल मूलभूत सुविधाएं ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इन केंद्रों का संचालन पीपीपी मॉडल पर करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी से सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

धार्मिक पर्यटन और कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आस्था केंद्रों तक पहुंचने वाले मार्गों और वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए।

मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

हर शुक्रवार चलेगा जन विश्वास अभियान

3000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, भोपाल करेगा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी

भोपाल,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 1 हजार 800 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता योजना को जारी रखने और भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव की मौजूदगी में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बैठक की जानकारी मीडिया को दी। बैठक के दौरान पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग में उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी गई। राज्य में प्रशासनिक और शैक्षिक सुधारों के तहत अब से महर्षि सांदीपनि के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही आयुष्मान योजना में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर खुशी जताई गई। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

आम सूचना

मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा आष्टा में आशुतोष वैष्णव पिता स्व. श्री अनुप वैष्णव द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया गया है। इस बावत सर्व-साधारण, बैंक, वित्तदायी संस्था एवं नगर पालिका परिषद आष्टा, राजस्व न्यायालय आष्टा के संज्ञान में यह आम सूचना प्रकाशित की जा रही है।

1-यह कि, आशुतोष वैष्णव पिता स्व. श्री अनुप वैष्णव, जाति बैरागी, निवासी वार्ड क्र. 17, पुष्प विद्यालय के पास, कन्नौद रोड आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर म.प्र. के स्वामित्व का भवन, कार्यालय नगर पालिका परिषद आष्टा तेहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र. के अनुसार क्र. 248, जो कि वार्ड क्र. 18 साई कॉलोनी, कस्बा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर म.प्र., तहसील आष्टा, जिला सीहोर म.प्र. में पूर्व से पश्चिम 50 फीट व उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 1500 वर्गफिट होकर स्थित है। इस भवन को मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक 'शाखा आष्टा में बंधक रखकर भवन स्वामी द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया गया है।

2- यह कि, इस संबंध में यह सूचनां इसलिये जारी की जा रही है कि यदि किसी भी सर्व-साधारण, बैंक, वित्तदायी संस्था एवं नगर पालिका परिषद आष्टा, राजस्व न्यायालय आष्टा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में अर्थात भवन को बंधक रखकर ऋण दिये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह मेरे कार्यालयीन समय सुबह 9 से 5.30 बजे तक 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज कराये। अन्यथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा आष्टा द्वारा भवन को बंधक रखकर ऋण प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। 7 दिवस की अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सभी सूचित होंवे।

भवदीय
धीरज कुमार धारवाँ एडवोकेट आष्टा जिला सीहोर म०प्र०
मो.9893471117

मध्यप्रदेश पुलिस के 25 हजार जवानों को मिला प्रमोशन

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति (प्रमोशन) देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 9,662 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।

9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी- सरकार ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में 9,662 नए पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों के सृजन का उद्देश्य पुलिस बल की क्षमता बढ़ाना, रिक्त पदों को भरना और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है।

दो वर्षों में 18 हजार नए पदों को मंजूरी- मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 8,500 नए पदों को मंजूरी दी गई थी। इस वर्ष स्वीकृत 9,662 पदों को मिलाकर दो वर्षों में करीब 18 हजार नए पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे पुलिस विभाग में पदोन्नति और नई भर्तियों का रास्ता भी आसान होगा।

पुलिस व्यवस्था को मिलेगा और बल

सरकार का मानना है कि नए पदों और बड़े स्तर पर हुई पदोन्नतियों से पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में घुसे 2 हजार किसान

भोपाल, (निप्र)। मध्यप्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ह्यकिसान क्रांति पैदल यात्राह्न मंगलवार को भोपाल पहुंच गई। मंडीदीप स्थित भोपाल सीमा पर कलियासोत नदी के ब्रिज के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर करीब 2 हजार किसान राजधानी में घुस गए।

पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएन: L29300MP1992PLC006912
पंजीकृत कार्यालय:- प्लॉट नंबर 209, सेक्टर नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, (म.प्र.) 454775
फ़ोन : 07292-403608, ई-मेल : admin@porwalauto.com, वेबसाइट : www.porwalauto.com

बिना भुगतान या दावा रहित लाभांश और समता अंशो को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने हेतु बाबत

सूचना - कंपनी के समता अंशो का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांरण एतद द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा एंव संरक्षण कोष अधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एंव वापसी) नियम 2016 (आई.ई.पी.एफ.नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु घोषित लाभांश जो सात वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित है, आई.ई.पी.एफ. में 27 नवम्बर, 2026 या इससे पूर्व हस्तांतरित कर दिया जावेगा। संबंध समता अंश जिन पर प्रत्येक 10/- रुपये का लाभांश सात लगातार वर्षो से बिना भुगतान या दावारहित था, को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जावेगा। आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा संबंध अंश धारकों, जिनके समता अंश उक्त आई.ई.पी.एफ. नियमों के अंतर्गत आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरित किये जाने है, को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। कंपनी द्वारा ऐसे अंश धारकों एंव समता अंशो जो आई.ई.पी.एफ. खाते में हस्तांतरण योग्य है का पूर्ण विवरण, ऐसे समता अंशो पर बिना भुगतान या दावा रहित लांभाश के विवरण सहित, कंपनी की वेबसाईट www.porwalauto.comपर अपलोड कर दिया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 व पश्चातवर्ती लाभांश का दावा इनके आई.ई.पी.एफ. में हस्तांरण से पूर्व करें।

इस संबंध में नोट करें कि

1. सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक रूप में है कंपनी द्वारा समता अंशो को आई.ई.पी.एफ. में हस्तांरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाण पत्रों की जगह नये प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगें एवं इस प्रकार के मामले में कंपनी द्वारा कार्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपोजिटरी को नये प्रमाणपत्रों को डिमेट में बदलने तथा आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरित करने हेतु सूचित किया जायेगा एंव मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेगें।
2. सदस्य जिनके पास समता अंश डिमेट प्रारूप में है कंपनी कार्पोरेट एक्शन द्वारा डिपोजिटरी को समता अंशो को आई.ई.पी.एफ.के डिमेट खाते में हस्तांतरित करने हेतु सूचित करेगी।

यदि कंपनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान या दावा रहित लाभांशो हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रो सहित 28 अक्टूबर 2026 या पूर्व तक प्राप्त नहीं होते है तो कंपनी द्वारा आई.ई.पी.एफ. नियमों की अनुपालना में बिना भुगतान/दावा रहित लांभाश को 28 अक्टूबर, 2026 या पूर्व तक आई.ई.पी.एफ. में संबंधित समता अंशो को भी बिना सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जावेगा। कृपया नोट करे कि बिना भुगतान या दावा रहित लाभांश राशि एवं आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित समता अंशो हेतु कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। सदस्य आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित लाभांश एवं समता अंश दोनो तथा ऐसे समता अंशो पर उपार्जित सभी लाभ यदि हो के लिये फार्म IEPF -5 में आई.ई.पी.एफ. को ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र है, जो वेबसाईट www.iepf.gov.inपर उपलब्ध है एवं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एंव इसके नोडल अधिकारी को उपयुक्त हस्ताक्षरित भौतिक प्रति में आवेदन फार्म IEPF- 5 वर्णित आवश्यक प्रपत्र सहित भेजकर प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त मामले में किसी भी जानकारी हेतु सदस्य कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्ट मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. को भेजेगा। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400083फोन: 022-49186000/49186270 Tel No.: +91-8108116767 Fax. 022 - 49186000, ई-मेल: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com/iepfclaim@in.mpms.mufg.com पर संपर्क कर सकते है।

वास्ते,
पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड
हंसिका मित्तल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : पीथमपुर
दिनांक : 28/07/2026

पांच दुकानों, हनुमान मंदिर में चोरी: पुलिस जांच में जुटी

विदिशा,(निप्र)। चोरों ने सोमवार रात अहमदपुर रोड स्थित अटल पार्क के पास पांच दुकानों और एक हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। चोर दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कपड़े, कीटनाशक और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मां अन्नपूर्णा खाद-बीज की दुकान के संचालक बलवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके गल्ले से 15 से 20 हजार रुपए नकद और कीटनाशक चोरी हुए। सांवरिया कलेक्शन के संचालक नवीन मीणा के अनुसार, उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान से लगभग 25 जोड़ी कपड़े, जैकेट, बनियान, अंडरवियर और 13 हजार रुपए नकद चोरी हुए हैं।

नकदी और कीटनाशक दवाइयां चोरी- श्याम कीटनाशक के संचालक सचिन ने बताया कि उनकी दुकान से 11 हजार रुपए नकद और कीटनाशक दवाइयां चोरी हुईं, जिससे कुल करीब 90 हजार रुपए का नुकसान हुआ है।

निशातपुरा के रुप में भोपाल को मिला नया रेलवे स्टेशन

भोपाल,(निप्र)। भोपाल को नया रेलवे स्टेशन मिला है। भोपाल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। निशातपुरा रेलवे स्टेशन का सीएम डॉ.मोहन यादव ने मंगलवार को शुभारंभ किया। अब मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ एक्सप्रेस का संचालन निशातपुरा स्टेशन से किया जाएगा। भोपाल की बढ़ती आबादी और ट्रेनों के दबाव को देखते हुए निशातपुरा रेलवे स्टेशन आने वाले समय में भोपाल के लिए बड़ी राहत देगा और इससे भोपाल के लोगों को भी कई फायदे होंगे। रानी कमलापति और भोपाल मुख्य जंक्शन के बाद यह भोपाल शहर का तीसरा प्रमुख सैटेलाइट स्टेशन बन गया है। अक्सर उज्जैन-इंदौर की तरफ से आकर बीना-झांसी या दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को भोपाल जंक्शन पर इंजन बदलने रिवर्सल या आउटर पर रुकने के कारण काफी समय लगता था।

मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड

MOHINI Health & Hygiene
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 109, सेक्टर 3 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर धार (मध्य प्रदेश) 454774
सीआईएन: L17300MP2009PLC022058
संपर्क नंबर: +91-7292-426665, 7292-426666
ईमेल: cs@mohinihealthandhygiene.com
वेबसाइट: www.mohinihealthandhygiene.com

असाधारण आम बैठक और दूरस्थ पुनर्मतदान की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक दिनांक बुधवार, 19 अगस्त, 2026 को दोपहर 2:00 बजे प्लॉट नंबर 109, सेक्टर 3 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर धार, म.प्र. 454774 में आयोजित की जाएगी। असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में किए जाने वाले विशेष कार्यों से संबंधित सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दी गई है। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **https://mohinihealthandhygiene.com/wp-content/uploads/MHHL-Notice-of-EGM_19082026.pdf** पर भी उपलब्ध रहेगी।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के तहत, सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके असाधारण आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। तदनुसार, ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य अपना वोट डाल सकते हैं।

1	ई-वोटिंग की कट-ऑफ तारीख	बुधवार, 12 अगस्त 2026
2	ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय	14 अगस्त 2026, सुबह 9.00 बजे
3	ई-वोटिंग खत्म होने की तारीख और समय	18 अगस्त 2026, शाम 5.00 बजे

जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट नहीं डाल पाए हैं, वे ईजीएम में वोट डालने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है, वे ईजीएम में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम के नोटिस में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, और खासकर रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोट डालने से जुड़े निर्देशों को ज़रूर पढ़ें।

मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
अर्निका जैन- कंपनी सेक्रेटरी

स्थान: पीथमपुर
तारीख: 29-07-2026

नाम का परिवर्तन

मेने अपना पुराना नाम बदल दिया है। नाम सोनल नया नाम सोनल पटेल किया है।
पता:- वार्ड क्र. 5, संचेती फटपेढ़ी के पास, एम.जी. रोड खेतिया - 451-881 जिला बडवानी मोबाइल- 9425992 112

नाम का परिवर्तन

मेने अपने नाबालिक बेटे को का नाम युग है, जिसे नया नाम युग पटेल किया है।.
पता:- वार्ड क्र. 5, संचेती फटपेढ़ी के पास एमजी रोड खेतिया-451-881 जिला बडवानी. मोबाइल 9425992112

सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड

सीआईएन : L55209MP2018PLC076125
पंजीकृत कार्यालय: एच-1, स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010
दूरभाष : 0731-4006666, ईमेल आईडी: cs@shilindore.com, वेबसाइट: www.shilindore.com

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही की अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(राशि लाख रुपये में, ईपीएस के आंकड़ों को छोड़कर)

क्र.	विवरण	स्टैंडअलोन तिमाही समाप्त 30.06.2026 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	2,652.10	2,375.94	2,959.94	10,655.37
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों से पहले)	201.74	244.72	138.29	1,176.56
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों के बाद)	201.74	244.72	13.29	1051.56
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर के बाद, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों के बाद)	157.99	178.56	17.52	800.73
5	अवधि की कुल समग्र आय (जिसमें अवधि का लाभ / (हानि) (कर के बाद) एवं अन्य समग्र आय (कर के बाद) शामिल है)	158.27	173.53	33.75	801.87
6	इक्विटी शेयर पूंजी	304.66	304.66	304.66	304.66
7	रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर), जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है	-	-	-	6,713.06
8	प्रति शेयर आय (₹10/- अंकित मूल्य) (सतत एवं बंद परिचालन के लिए) मूल (Basic) पतला (Diluted)	5.19 5.19	5.86 5.86	0.58 0.58	26.28 26.28

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही की अवधि के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जिसे सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही की अवधि के लिए वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा कंपनी की वेबसाइट **www.shilindore.com** पर उपलब्ध है और नीचे संलग्न **QR कोड** को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

बोर्ड के आदेश से
सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड
Sd/-
थोट्टापुल्ली नारायणन उन्नी, अध्यक्ष

स्थान : **इंदौर**
दिनांक : **28.07.2026**

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी । ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है । अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा । सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री संजय गुप्ता श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता 20008100005873 90001290144150	सभी चल और अचल संपत्ति, जो प्लॉट नंबर 59 नॉर्थ साइड का हिस्सा, लगभग 46 वर्ग मीटर का एरिया, पी.एच नंबर 26 (नया 43), खसरा नंबर 178 और 179, यमुना कुंज कॉलोनी, ग्राम जेतपुर, तहसील और ज़िला - खरगोन, मध्य प्रदेश - 451001 संजय गुप्ता की प्रॉपर्टी है और जो आवरित है: उत्तर: प्लॉट नंबर 60, पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: एरिया का माप, दक्षिण: प्लॉट नंबर 69 का बचा हुआ हिस्सा	अप्रैल 30, 2026	जुलाई 24, 2026	रु.5,29,982.52 (अप्रैल 08, 2026 तक)

स्थानः खरगोन
तारीखः जुलाई 29, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी । ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है । अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा । सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री संतोष वानखेड़े श्रीमती योगिता वानखड़े 20008290000597	सभी चल और अचल संपत्ति, जो संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, कॉलोनी मानचित्र के अनुसार प्लॉट नंबर 212, खसरा नंबर 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, राधा - क्रशन कॉलोनी, शाहपुर बुरहापुर मध्य प्रदेश- 450331. स्वामित्व संतोष वानखेड़े द्वारा में स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: प्लॉट नंबर 211, पूर्व: प्लॉट नंबर 189, पश्चिम: सड़क, दक्षिण: प्लॉट नंबर 214	अप्रैल 22, 2025	जुलाई 23, 2026	रु.10,78,982.28 (मार्च 24, 2025 तक)
श्री लोकेन्द्र पाल श्री सुरेश पाल श्रीमती लीला बाई पाल 20008290001333	सभी चल और अचल संपत्ति, जो संपत्ति बंदोबस्त नंबर 11, सर्वे नंबर 33/1 का हिस्सा, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट, लालबाग रैयत, शहर त. और जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश सुरेश पाल की प्रॉपर्टीमें स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: कॉमन रोड, पूर्व: सर्वे नंबर 33/1 का बाकी हिस्सा, पश्चिम: सर्वे नंबर 33/1 का बाकी हिस्सा, दक्षिण: सर्वे नंबर 33/1 का बाकी हिस्सा	सितंबर 09, 2025	जुलाई 23, 2026	रु.3,23,782.46 (अगस्त 12, 2025 तक)
श्रीमती सीमा तोमर श्री सुरेंद्र 20008330000533 52210053751691	सभी चल और अचल संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जिसमें पीएच नंबर 125, सर्वे नंबर 233/1, पेकी ग्राम उमराली, तहसील- सोंडवा, जिला- अलीराजपुर शामिल है, जो सीमा तोमर की है में स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: रोड, पूर्व: सर्वे नंबर 233/2, पश्चिम: विक्रेता की बाकी ज़मीन, दक्षिण: विक्रेता की बाकी ज़मीन	अप्रैल 07, 2026	जुलाई 23, 2026	रु.6,46,862.38 (मार्च 09, 2026 तक)
श्री दिनेश राव हिलाल श्रीमती विमल हिलाल श्री सुभाष राव हिलाल 20008120005186	सभी चल और अचल संपत्ति, जो घर नंबर 102/64 (पुराना), 79/6 (नया), वार्ड नंबर 13 (पुराना), 23 (नया), लगभग 697.5 वर्ग फुट एरिया, खेड़ापति मार्ग, नगर पालिका धार, जिला धार, मध्य प्रदेश, 454001 मालिक: श्री सुभाष राव हिलाल, श्रीमती विमल हिलाल में स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: श्री जगदीश का घर, पूर्व: खेड़ापति मार्ग, पश्चिम: सड़क, दक्षिण: प्रकाश हिलाल का घर नंबर 101	अप्रैल 30, 2026	जुलाई 23, 2026	रु.9,10,118.79 (अप्रैल 08, 2026 तक)

स्थानः मध्य प्रदेश
तारीखः जुलाई 29, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड